ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—22/2019 प्रार्थना पत्र
-श्री सुरेश पिता नारायण कुमावत, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-चांदी पुत्री नारायण कुमावत, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति कांली पत्नि नारायण कुमावत, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्री प्यारचन्द पिता नारायण कुमावत, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री सत्यनारायण पिता नारायण कुमावत, उम्र नाबालिग बबिलायत माता श्रीमति काली देवी पत्नि नारायण कुमावत, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थीगण

बनाम

-श्री मुकेश पिता मोहन गूजर, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा—औझागर तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)
-श्री नारायण पिता मोहन गूजर, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा—औझागर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्री रतन पिता मांगू गूजर, उम्र बालिग निवासी मजरा केशरपुरा—औझागर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::　　　　दिनांकः—25.2.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—जस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औझागर वार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 966 रकबा 1 बीघा बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी ाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की मा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.1.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। से शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 4 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 4 को तनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.19 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक का बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, ल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने ते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम औझागर पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 966 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, गुरंला को 200/–रूपये (दो सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरग़ढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner